न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 02/2016

श्री हेमराज पुत्र श्री गजानन्द जाति खटीक निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

.....*अपीलान्ट*

बनाम

1. श्रीमती माला पत्नी श्री नाथू लाल
2. श्री रामनिवास पुत्र श्री नाथू
3. श्रीमती जलूखा पत्नी श्री रूपसिंह
4. श्री बंटी पुत्र श्री रूपसिंह
5. श्री हरेक पुत्र श्री रूपसिंह
6. श्रीदेवी पुत्री श्री रूपसिंह
7. श्री आशाराम पुत्र श्री नाथू
8. श्री हंसराज पुत्र श्री नाथू
9. श्री हरिसिंह पुत्र श्री नाथू
10. मीना पुत्री श्री नाथू
11. पिता पुत्री श्री नाथू
12. नारयों पुत्र श्री रामनाथ कंजर
    समस्त जाति कंजर निवासीगण कंजर बस्ती केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी, जिला अजमेर।

.....*रेस्पोन्डेन्ट्स*

14. श्री रामदेव पुत्र श्री कजोड़ जाति खटीक निवासी ग्राम केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

..... *तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट*

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
1. श्री ओ0 एल0 दवे, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 1, 3, 8 से 10 व 12 की ओर से।
3. श्री रूपक शर्मा वकील तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट की ओर से।
3. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

—: आदेश :—

दिनांक 15.03.2017

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील केकड़ी जिला अजमेर के राजस्व ग्राम केकड़ी स्थित कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 1848 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी हाल खसरा नम्बर 6070 रकबा 0.39 हैक्टर भूमि का नामान्तरकरण संख्या 3632 दिनांक 29.01.2016 को तहसीलदार केकड़ी द्वारा उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के राजस्व प्रकरण संख्या 62/2014 सरकार व अन्य बनाम श्री हेमराज व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.01.2016 की अनुपालना में श्री नाथूलाल पुत्र श्री रामलाल जाति कंजर साकिन देह के नाम स्वीकृत कर दिया। तत्पश्चात् मृतक श्री नाथूलाल की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 3635 दिनांक 01.02.2016 को मृतक के वारिस माला पत्नी नाथूलाल, रामनिवास, आशाराम, हंसराज, हरिसिंह, मीना, ममता पिता नाथूलाल, बंटी(ना0 बा0), हरेक(ना0 बा0), श्रीदेवी(ना0 बा0), व नीता(ना0 बा0) पिता रूपसिंह कौम कंजर साकिन देह के नाम स्वीकृत कर दिया। अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत इन्हीं नामान्तरकरण संख्या 3632 दिनांक 29.01.2016 व नामान्तरकरण संख्या 3635 दिनांक 01.02.2016 से अंसतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है। अपील पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम नोटिस जारी किए गये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 3, 8 से 10 व 12 से 14 जरिये वकील उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा मियाद के बिन्दु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।

बहस प्रारंभ होने से पूर्व उभयपक्ष के वकीलों द्वारा लिखित बहस पेश की गई जिन्हें शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि वाके ग्राम कस्बा केकड़ी की जमाबंदी संवत् 2065–68 के खाता नम्बर 1632 में दर्ज खसरा नम्बर 6070 रकबा 0.39 हैक्टर अपीलान्ट के नाम दर्ज है तथा विवादित भूमि के पुराने खसरा नम्बर 1848 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा 10 बिस्वांसी जरिये नामान्तरकरण संख्या 1106 दिनांक 20.08.1985 से श्री नाथूलाल पुत्र श्री रामलाल द्वारा क्रय की गई थी, किन्तु श्री नाथूलाल पुत्र श्री रामलाल ने विवादित भूमि का दानपत्र अपीलान्ट के नाम कर दिया तथा उक्त दान पत्र के आधार पर विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट के नाम दर्ज कर दी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि तहसीलदार द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि जमाबंदी में दर्ज वर्तमान खातेदार हेमराज का नाम विलोपित किया जावे। प्रार्थना पत्र में तहसीलदार केकड़ी द्वारा अंकित किया गया कि रेकार्ड एवं मौके की जांच अनुसार कस्बा केकड़ी के विवादित खसरा नम्बर 6070 रकबा 0.39 हैक्टर वर्तमान जमाबंदी चौसाला के खाता संख्या 2558 पर हेमराज पुत्र गजानंद

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

खटीक साकिन देह के नाम दर्ज है तथा वर्तमान इन्द्राज जरिये पंजीकृत दानपत्र के नामान्तरकरण संख्या 1001 दिनांक 09.09.2011 की पालना में स्वीकृत हुआ है जिसे बिना न्यायिक प्रक्रिया एवं सक्षम न्यायालय से डिक्री के अभाव में संभव नहीं है। उनका यह भी कथन है कि अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के समक्ष एक राजस्व वाद 24/2013 दिनांक 19.02.2013 को अन्तर्गत धारा 188 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, जो इसी न्यायालय में विचाराधीन था। उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा दिनांक 12.01.2016 को अपीलान्ट के नियमित दावें में अपीलान्ट की गैर हाजरी दर्ज करते हुए दावे को अदम हाजरी में खारिज कर दिया तथा रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही में उसी दिनांक 12.01.2016 को वकील अपीलान्ट की हाजरी लिखते हुए दिनांक 18.01.2016 को स्वीकार कर लिया जबकि वकील अपीलान्ट द्वारा 136 के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की कोई बहस ही नहीं की गई थी, किन्तु न्यायालय ने बदनीयति से गलत व गैर कानूनी रूप से अपने निर्णय दिनांक 18.01.2016 द्वारा रेस्पोन्डेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। उपखण्ड अधिकारी के उक्त कृत्य से एक ही न्यायालय में दो अलग–अलग प्रकरणों में जिसमें एक में एक ही दिन अपीलान्ट वकील बहस कर लेगा जबकि दूसरे प्रकरण में उसकी अनुपस्थिति दर्ज की गई। इससे स्पष्ट है कि उक्त न्यायालय द्वारा जानबूझ कर रेस्पोन्डेन्ट को लाभ पहुँचाने की नीयत से विधि विरूद्व आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य है। वकील अपीलान्ट ने आगे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के निर्णय दिनांक 18.01.2016 की आड़ में नामान्तरकरण संख्या 3632 दिनांक 29.01.2016 को नाथूलाल पुत्र रामलाल के पक्ष में स्वीकृत किया जबकि नाथूलाल की मृत्यु दिनांक 29.06.1999 को ही हो चुकी थी। अधिनस्थ न्यायालय को इस तथ्य की जानकारी होने पर अपनी गलती छुपाने के उद्वेश्य से मृतक नाथूलाल के वारिसान के नाम विरासती नामान्तरकरण संख्या 3635 दिनांक 01.02.2016 को स्वीकृत कर दिया। मृत व्यक्ति के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण प्रारंभ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी है। विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित कोई भी आदेश प्रारंभः से ही शून्य व निष्प्रभावी होगा। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान डी.एन.जे. वोल.–1(एस.सी.) 2009 पेज 244 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3632 दिनांक 29.01.2016 व 3635 दिनांक 01.02.2016 निरस्त किये जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील रेस्पोन्डेन्ट्स ने कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत समस्त कथन झूठे एवं बेबुनियाद है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में संधारण योग्य नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों आक्षेपीय नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 18.01.2016 की अनुपालना में स्वीकृत किये गये है तथा अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के आदेश के विरूद्व संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष अपील संख्या 15/2016 पेश की गई है, जो विचाराधीन है। अतः अपील अपीलान्ट मूल आदेश के विरूद्व नहीं होने से प्रथम दृष्टया ही

Scanned by CamScanner

से अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं होने के साथ ही अपील मूल आदेश के विरूद्व नहीं होने से निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय नामान्तकरण उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के आदेश दिनांक 18.01.2016 की अनुपालना में स्वीकृत किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर न तो अपीलान्ट का कब्जा काश्त है तथा न ही राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के आदेश दिनांक 18.01.2016 के विरूद्व सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है जो विचाराधीन है। उक्त अपील के निरस्तारण से ही उन्हें अनुतोष प्राप्त हो सकता है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट पोषणीय नहीं होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 15.03.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner